## इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

352057 - नौकरी के कर्तव्य बहुत हैं, इसलिए वह उनमें से अधिकांश को पूरा करता है और उनमें से कुछ को वास्तविक रूप से किए बिना बाहरी रूप से पूरा करता है। तो इसका हुक्म क्या है?

## प्रश्न

मैं एक निजी क्षेत्र की कंपनी में काम करता हूँ। जो कुछ पूरा किया गया होता है हम उसकी अंकों या बिंदुओं के रूप में मासिक गणना करते हैं। फिर वार्षिक रूप से अंक (पॉइंट्स) एकत्र किए जाते हैं, और तदनुसार वार्षिक वृद्धि या लाभ की राशि निधारित की जाती है। मैं जिस विभाग के अधीन काम करता हूँ वह नौकरी के कार्य, या जिसे लक्ष्य (टारगेट) कहा जाता है, इस तरह निर्धारित करता है, जिसे अधिकांश कर्मचारियों के लिए हासिल करना मुश्किल होता है, सिवाय इसके कि कर्मचारी अपने अवकाश के दिनों में, या अपने आधिकारिक काम के घंटों से पहले या बाद में काम करे। अन्यथा वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। प्रश्न यह है कि: क्या मैं गुनाहगार हूँ या मेरे ऊपर कोई पाप है या हराम (निषिद्ध) धन का संदेह है, यदि नौकरी के कार्यों का एक हिस्सा पूरा किया जाता है, जो कि मेरे और मेरे सहयोगियों पर मनमाने ढंग से लगाए गए समय के लगभग बराबर होता है, यदि मैं उसे इस तरह से पूरा करूँ जो किया हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो पूरा किया गया है वह उसका एक हिस्सा है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा नहीं किया गया होता है? इन बिंदुओं (पॉइंट्स) को इस आधार पर एकत्रित किया जाता है कि यह कुल मिलाकर पूरा हो चुका है? ज्ञात रहे कि: उसका सबसे बड़ा और अधिक सामान्य हिस्सा अर्थात 90% हिस्सा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से एक अच्छे तरीके से किया जाता है। हमने सभी प्रबंधकों को शिकायत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हआ।

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

कर्मचारी के लिए उन कार्यों और कर्तव्यों को करना अनिवार्य है जिनपर अनुबंध में सहमति व्यक्त की गई है। यदि वह ऐसा करने में कोताही करता है, तो वह केवल उतने ही वेतन का हकदार है जो उसके किए हुए काम के बराबर है।

यदि कार्य बहुत अधिक हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आमतौर पर समय पर्याप्त नहीं होता है, तो कर्मचारी के पास यह विकल्प है कि वह उस काम को स्वीकार कर ले और उसे जारी रखे, या वह अनुबंध को नवीनीकृत न करे यदि यह एक

## इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

निश्चित अविध के लिए है, या वह महीने के अंत में काम करना बंद कर दे, यदि वह अनुबंध मासिक है।

अगर उसने उस शर्त को स्वीकार कर लिया जो उसपर लगाई गई है, तो उसके लिए उसमें कोताही करने का अधिकार नहीं है।

आपने उपलब्धि को अवास्तविक रूप से दिखाने का जो उल्लेख किया है, उसे धोखाधड़ी और अवैध रूप से धन को खाना माना जाएगा। और अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है:

"ऐ ईमान वालो ! आपस में एक-दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ, सिवाय इसके कि वह तुम्हारी आपसी सहमित से कोई व्यापार हो।" (सूरतुन-निसा : 29)।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "िकसी भी आदमी का धन उसकी मर्ज़ी के बिना हलाल – वैध - नहीं है।" इसे अहमद (हदीस संख्या : 20172) ने रिवायत किया है और शैख अलबानी ने "इर्वाउल-ग़लील" (हदीस संख्या : 1459) में इसे सहीह कहा है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जो धोखा देता है वह मुझसे नहीं है।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 102) ने रिवायत किया है।

इसलिए, आप अपेक्षानुसार काम करने में कड़ी मेहनत करें, साथ ही इस मामले को अधिकारियों के सामने उठाकर इसे कम करने का प्रयास करें। हम अल्लाह से प्रार्थना करते है कि वह आपकी मदद करे और आपको अपने अनुग्रह से जीविका प्रदान करे।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।